प्रेस नोट
दिनांक 07.02.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 मादक पदार्थ तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में खरगूपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर छैलू उर्फ कमरूद्दीन नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को कठौवा पुल नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 07.02.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 अभय नरायण यादव मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना पर कठौवा पुल नहर पटरी के पास से अभियुक्त छैलू उर्फ कमरूद्दीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. छैलू उर्फ कमरूद्दीन नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–24/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अभयनरायण यादव।
02. हे0का0 राकेश कुमार मौर्य।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.02.2025</u>

<u>थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–60/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा पुत्र स्व0 दिग्विजय नाथ मिश्रा नि0 बन्दरहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना गेट के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आज दिनांक 07.02.2025 को प्र0नि0 मनकापुर मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त रेलवे क्रासिंग से मनकापुर थाना जाने वाली रोड पर खड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंचकर गैंगस्टर–01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु लोगो को गाली–गलौज व जानमाल की धमकीक देकर मोबाइल व रूपये लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा पुत्र स्व0 दिग्विजय नाथ मिश्रा नि0 बन्दरहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–60/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना को0 मनकापुर।
02. का0 नागेन्द्र यादव।
03. का0 पारस यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>